

मोसैंटो पर 560 करोड़ का जुर्माना

सैन फ्रांसिस्को। मोन्सैंटो को अमेरिका के एक सेवानिवृत्त नागरिक को करीब आठ करोड़ डॉलर (करीब 560 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि मोसैंटो के खरपतवार नाशक राउंडअप की वजह से उसे कैंसर हुआ। सेहत को नुकसान से जुड़ा यह मामला इसलिए गंभीर है, क्योंकि इसके आधार पर इसी तरह के हजारों अन्य मामलों में भी अदालत से ऐसे ही आदेश आ सकते हैं। इससे कंपनी के वित्तीय सेहत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने इस मामले में पाया कि मोसैंटो ने लापरवाही की है। उसने अपने उत्पाद पर उससे संबंधित जोखिमों को लेकर समुचित चेतावनी नहीं प्रकाशित की। अदालत ने मोसैंटो को आदेश दिया कि वह एडविन हर्डमैन को करीब 560 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करे। हाल के महीने में एक और मामले में मोसैंटो को हार का सामना करना पड़ा था। उस मामले में टर्मिनल नॉन-हॉजकिस लिंफोमा से पीड़ित कैलीफोर्निया के एक स्कूल कर्मचारी को करीब इतनी ही राशि का भुगतान करने का आदेश कंपनी को दिया गया था।

राउंडअप का एक प्रमुख रसायन ग्लाइफोसेट विवाद के घेरे में है। अदालत में पहले ही यह तय हो चुका था कि 70 वर्षीय हर्डमैन को इसी रसायन के कारण नॉन-हॉजकिस लिंफोमा हुआ। इस फैसले के बाद पिछले साल 63 अरब डॉलर में मोसैंटो का अधिग्रहण करने वाली कंपनी बेयर के शेयरों में गिरावट देखी गई। मोसैंटो के अधिग्रहण के बाद से ही बेयर का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 46 फीसद घट चुका है।

ताजा फैसले के बाद मोसैंटो ने कहा कि वह हर्डमैन की पीड़ा के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन वह इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी। इस मामले में मोसैंटो या राउंडअप का बचाव करने के लिए उसका एक भी वर्तमान या पूर्व कर्मचारी आगे नहीं आया। अमेरिका में राउंडअप के खिलाफ 11,200 से अधिक ऐसे मामले दाखिल हो चुके हैं।